# न्यायालय, राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी : डॉ0 भास्कर बिश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या : 02/2009 G.C.M.S. No. 2009/00029 दर्ज दिनांक : 05.02.2009

अपीलार्थी:

1. मेहबूब खां पुत्र करीम खां उम्र 38 वर्ष
2. बणाव बानो बेवा करीम खां उम्र 79 वर्ष, जाति मुसलमान निवासी अलीपुरा, तहसील पीसांगन, जिला अजमेर।

## बनाम

प्रत्यर्थिगण:

1. मांगु खां पुत्र अली बख्स खां
2. सुबान खां पुत्र हासम अली
3. सिकंदर खां पुत्र उजीर खां
4. बरकत खां पुत्र उजीर खां
5. भवरू खां पुत्र अलीबख्स, जातिगण मुसलमान, निवासीगण अलीपुरा, तहसील पीसांगन जिला अजमेर (विलोपित)
6. तहसीलदार रायपुर।

**अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध सहायक कलक्टर रायपुर द्वारा राजस्व वाद संख्या 240/2008 बअनवान मांगु खां बनाम मेहबूब खां वगैरह में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 26.09.2008 एवं प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम 1963**

**पैरोकार–**

1. श्री श्याम पंचारिया, विद्वान अभिभाषक अपीलांट।
2. रेस्पोंडेंट्स संख्या अनुपस्थित।

## निर्णय

दिनांक: 27.11.2025

अपीलान्ट की ओर से जरिये अधिवक्ता यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत सहायक कलक्टर रायपुर द्वारा राजस्व वाद संख्या 240/2008 बअनवान मांगु खां बनाम मेहबूब खां वगैरह में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 26.09.2008 के विरूद्ध पेश की गई। प्रकरण संक्षेप में निम्नानुसार है–

यह कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोंडेंट प्रतिवादी संख्या 1 से 4 ने अपीलांट व रेस्पोंडेंट संख्या 5 से 6 के विरूद्ध एक दावा अंतर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत सरहद मौजा नाहरगढ़ पटवार हल्का सुमेल तहसील रायपुर में वादीगण व प्रतिवादीगण की खातेदारी व कब्जाकाश्त की पैतृक भूमि खसरा नंबर 1185 रकबा 9 बीघा 13 बिस्वा किस्म बारानी अव्वल के संबंध में प्रस्तुत कर घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा बाबत अनुतोष चाहा, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

निर्णय व डिक्री पारित की गई हैं। जोकि विधिविरूद्ध है। चूंकि अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष वादीगण मांगु खां, सुभान खां, सिकन्दर खां व बरकत खां व प्रतिवादी भवरू खां ने आपसी मेल मिलावट कर उक्त राजस्व वाद प्रस्तुत किया तथा प्रतिवादी भवरू खां ने इकबालिया जवाब दावा प्रस्तुत किया। तथा इकबाली जवाब दावा के आधार पर अधिनस्थ न्यायालय ने उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित की, जबकि अधिनस्थ न्यायालय ने सरियत कानून एवं गोदनामा के बारे में राजस्व न्यायालय की अधिकार क्षेत्र के बारे में विधि की विवेचना किये बिना तथा अपना अधिकार क्षेत्र से परे निर्णय एवं डिक्री पारित की हैं। वादीगण व प्रतिवादी भवरू खां ने इस तथ्य के आधार पर दावा व जवाब दावा पेश किया कि करीम खां ईस्माईल खां के गोद चला गया तथा गोद चले जाने के कारण करीम खां का अलीबख्स की सम्पति में कोई हक हिस्सा नहीं है। जबकि ऐसे गोद का विनिश्चय व निर्णय एवं डिक्री मात्र सिविल न्यायालय द्वारा ही प्रदान की जा सकती हैं। राजस्व न्यायालय को ऐसे निर्णय व डिक्री पारित करने की अधिकारिता नहीं हैं, न ही गोद के बिन्दू पर विनिश्चिय किया जा सकता। जबकि अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष ऐसे कोई दस्तावेज नहीं थें जिससे यह प्रमाणित हो कि करीम खां ईस्माईल खां के यहां गोद चला गया जबकि शरियत कानून में मुस्लिम समाज में संतान के गोद लेने का कोई रिवाज कानूनन नहीं हैं। इस प्रकार सरियत का कानून प्रथम श्रेणी का कानूनी है जहां सरियत कानून में गोद लेने का रिवाज नहीं हैं। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय ने जो कानून सरियत कानून के आधार पर पक्षकारों के हक व अधिकार तय होने थें, ऐसे अधिकारों को राजस्व न्यायालय द्वारा निर्णित नहीं किया जा सकता। वादीगण ने अधिनस्थ न्यायालय में झूठें तथ्यों के आधार पर दावा प्रस्तुत किया। वादी ने अपने दावे में यह कहीं प्रकट नहीं किया कि ईस्माईल खां किसका पुत्र था तथा किस गांव का रहने वाला था तथा करीम खां को कब गोद दिया इस बारे में कोई विवरण वाद में दर्ज नहीं किया एवं ईस्माईल खां के किस खसरा नम्बर की भूमि में करीम खां व उसके पुत्र व पत्नि का हिस्सा रहा कोई खसरा नम्बर व जमीन का विवरण दर्ज नहीं रहा तथा ईस्माईल खां किस गांव का निवासी था उसके बारे में कोई विवरण दर्ज नहीं किया। इसके साथ ही पांच रूपये के स्टाम्प की सहमति पत्र पर अपीलाण्ट के पिता व पति के कोई हस्ताक्षर व अंगुष्ठ निशान नहीं हैं। न ही उसकी सत्यता के बारे में कोई जांच की गई। जबकि अपीलाण्ट के पिता व पति करीम खां अलीबख्श उर्फ ईलाई बख्श का लडका था वह कभी भी उनके जीवनकाल में ईस्माईल खां के गोद नहीं गया न ही ईस्माईल खां की कोई सम्पति प्राप्त की। ईस्माईल खां के फौत होने के बाद उसकी पत्नि धापुदेवी खातेदार

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

काश्तकार रही तथा उसकी मृत्यु के पश्चात् उनकी पुत्रियां खातेदार काश्तकार है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने बिना दस्तावेजों की जांच किये एक मिलावटी वाद के आधार पर घोषणा की डिक्री पारित की हैं। इसके अतिरिक्त वादीगण ने अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष मात्र अपीलाण्ट के पिता व पति का ईस्माईल खां के यहां गोद जाने के आधार पर वाद प्रस्तुत किया है तथा अन्य किसी आधार पर घोषणा का वाद प्रस्तुत नहीं किया है। उक्त वाद में मात्र गोद जाने जिसमें गोद लेने व देने के तथ्यों का विवेचन करना होता है। जबकि उक्त तथ्य का निष्तारण मात्र सिविल न्यायालय द्वारा किया जा सकता। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने अपने अधिकार क्षेत्र से परे जाकर जो अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित की हैं। वह निरस्त योग्य है। प्रकरण में अपीलाण्ट को अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय एवं डिक्री की जानकारी नहीं हों सकी। अपीलाण्ट बनाव बानो वृद्ध होने से चल फिर नहीं सकती हैं तथा मेहबूब खां टी.बी. व अन्य बिमारी से माह सितम्बर 08 से जैर ईलाज व विभिन्न अस्पतालों में भर्ती होने से उसे उक्त निर्णय एवं डिक्री की जानकारी नहीं हो सकी, न ही उसके अधिवक्ता द्वारा उसे जानकारी कराई गई। दिनांक 10.01.2009 को अपीलाण्ट मेहबूब खां ने अपने अधिवक्ता से उक्त बाद की जानकारी चाही तब उन्होंने उपरोक्त वाद रायपुर तहसील में विचाराधीन होना बताया। अपीलाण्ट दिनांक 13.01.2009 को रायपुर सहायक कलक्टर के कार्यालय में जाकर उक्त वाद का पता किया तब उसी रोज आवेदन संख्या 32 दिनांक 13.01.2009 प्रस्तुत कर उक्त निर्णय एवं डिक्री की नकलें प्राप्त की। नकलें प्राप्ति की दिनांक से यह अपील अंदर अवधि प्रस्तुत है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर जैर अपील निर्णय व डिक्री अपास्त फरमावें।

म्याद के बिंदु पर निर्णय सुरक्षित रखते हुए अपील अपीलांट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेंट व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया।

हमनें प्रकरण में विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी एवं उस पर मनन किया तथा पत्रावली एवं संगत विधिक प्रावधानों का अवलोकन किया। प्रकरण का विस्तृत विवेचन व निर्णयन निम्नानुसार है–

1. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोंडेंट प्रतिवादी संख्या 1 से 4 ने अपीलांट व रेस्पोंडेंट संख्या 5 से 6 के विरूद्ध एक दावा अंतर्गत खातेदारी घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा बाबत प्रस्तुत किया। जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 26.09.2008 को निर्णित व डिक्री किया गया। जिसके विरूद्ध अपीलांट द्वारा उक्त अपील विलंब के साथ प्रस्तुत की गई हैं।

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

2. अपीलांट द्वारा विलंबकाल के संबंध में धारा 5 परिसीमा अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर मुख्य रूप से यह निवेदन किया कि अपीलाण्ट बनाव बानो वृद्ध होने से चल फिर नहीं सकती हैं तथा मेहबूब खां टी.बी. व अन्य बिमारी से माह सितम्बर 08 से जैर ईलाज व विभिन्न अस्पतालों में भर्ती होने से उसे उक्त निर्णय एवं डिक्री की जानकारी नहीं हो सकी, न ही उसके अधिवक्ता द्वारा उसे जानकारी कराई गई। दिनांक 10.01.2009 को अपीलाण्ट मेहबूब खां ने अपने अधिवक्ता से उक्त बाद की जानकारी चाही तब उन्होंने उपरोक्त वाद रायपुर तहसील में विचाराधीन होना बताया। अपीलाण्ट दिनांक 13.01.2009 को रायपुर सहायक कलक्टर के कार्यालय में जाकर उक्त वाद का पता किया तब उसी रोज आवेदन संख्या 32 दिनांक 13.01.2009 प्रस्तुत कर उक्त निर्णय एवं डिक्री की नकलें प्राप्त की। अतः विलंब सद्भाविक होने से अपील अंदर म्याद शुमार फरमावें।

3. हमारे विनम्र मत में प्रकरण में दीर्घ विलंब नहीं होने तथा अपीलांट द्वारा विलंब के लिए दर्शित कारण सद्भाविक व युक्तियुक्त होने से प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विलंबकाल माफ करते हुए अपील अपीलांट अंदर म्याद शुमार की जाती हैं।

4. अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादीगण रेस्पोंडेंट संख्या 1 से 4 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में प्रतिवादीगण अपीलांट के विरूद्ध वादग्रस्त आराजीयात में खातेदारी अधिकारों की घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का वादपत्र इस आधार पर प्रस्तुत किया कि प्रतिवादी संख्या 1 के पिता व प्रतिवादी संख्या 2 का पति करीम खां बाल्यावस्था में इस्माईल खां के गोद चला गया। ईस्माईल खां की चल–अचल संपत्ति पर प्रतिवादी संख्या 1 के पिता व 2 के पति करीम खां काबिज हुआ। जो फौत हो चुका है। लेकिन राजस्व रेकर्ड में अपने प्राकृतिक पिता अलीबख्श के स्थान पर दर्ज हो गया। अतः वादीगण व प्रतिवादी संख्या 3 को करीम खां की जगह खातेदार काश्तकार घोषित किया जावें। अधीनस्थ न्यायालय में प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई तथा प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा इकबालिया जवाब को स्वीकार किया गया है। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादी साक्ष्य पूर्ण कर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री द्वारा वादग्रस्त आराजीयात में वादीगण व प्रतिवादी संख्या 3 को खातेदार काश्तकार घोषित किया तथा अपीलांट प्रतिवादी संख्या 1 के पिता व 2 के पति करीम खां का नाम विलोपित किया गया।

5. अधीनस्थ न्यायालय में प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की ओर से अधिवक्ता द्वारा वकालतनामा प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जवाब प्रस्तुत करने का पर्याप्त अवसर देने

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

के बावजूद जवाब प्रस्तुत नहीं करने तथा असालतन/वकालतन अनुपस्थित रहने से जवाबदावा बंद किया गया।

6. अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध प्रदर्श 2ए इकरारनामा सहमति के अवलोकन से स्पष्ट है कि करीम खां द्वारा भवरू खां, हाकम अली, मांगू खां, उजीर खां पुत्रगण इलाई बख्श के पक्ष में स्टांप पेपर पर यह सहमति निष्पादित की कि उसका अपने जैविक पिता की आराजी में से अपना हक, हिस्सा सदैव–सदैव के लिए द्वितीय पक्ष को सुपुर्द कर दिया है। अभी मेरा उक्त आराजी में कोई हक, हिस्सा शेष नहीं रहा है। अर्थात करीम खां की उक्त स्वीकारोक्ति से उसके वारिसान आबद्ध है।

7. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर हमारा यह विनम्र अभिमत है कि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित करने में कोई वैधानिक त्रुटि कारित नहीं की हैं। अतः अपील अपीलांट बखूबी साबित नहीं होने से खारिज किया जाना पूर्णतया विधिसम्मत व उचित होगा।

## आदेश

अतः निष्कर्षतः अपील अपीलांट अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बखूबी साबित नहीं होने व सारहीन होने से खारिज/अस्वीकार की जाती हैं तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर रायपुर द्वारा राजस्व वाद संख्या 240/2008 बअनवान मांगु खां बनाम मेहबूब खां वगैरह में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 26.09.2008 की पुष्टि की जाती हैं। निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख लौटाया जावें। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित की जाकर बाद तकमील संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक **27.11.2025** को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुहर के सर–ए–इजलास सुनाया गया।

**(डॉ0 भास्कर बिश्नोई)**
**राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली**